बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-101/2024 - 47 /पटना, दिनांक– 28-11-

अररिया जिले के कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन PMGSY-II अन्तर्गत निर्माणाधीन पुल T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas, Last Border (Construction of HL Bridge at Ch-33.20 K.m., Over River Alignment, Length of Bridge-182.65 M), पैकेज संख्या–BR01P2R-49, दिनांक–18.06.2024 को पुल के Span A_2-P_8 का Deck Slab ध्वस्त हो जाने के फलस्वरूप संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त DPR परामर्शी Dandar Nirman Pvt. Ltd. को कोई भी नया कार्य आवंटित नही किये जाने, उनको आवंटित कार्य को वापस लेते हुए दूसरे परामर्शी से पूर्ण कराये जाने एवं किसी भी प्रकार की लंबित भुगतान नहीं किये जाने का निदेश कार्य प्रमंडल को दिया गया। पुल परामर्शदाता से कारण पृच्छा करते हुए प्रथम द्रष्टया इसके निर्माण में गुणवत्ता की कमी के लिए संबंधित संवेदक SIRAJUR RAHMAN को जिम्मेवार मानते हुये विभागीय पत्रांक–1844 अनु0 दिनांक–03.07.2024 के माध्यम से सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल को संवेदक SIRAJUR RAHMAN को किसी भी नई निविदा में भाग नहीं लेने तथा किसी भी प्रकार के लंबित भुगतान नहीं किये जाने का निदेश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस पुल के निर्माण कार्य पर अब तक रू 650.64 लाख का व्यय किया गया है।

संदर्भित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जाँच हेतु विभाग द्वारा अलग–अलग एजेंसियों यथा–विभागीय जाँच दल, IIT Patna, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ र्निमाण विभाग, पटना, को दायित्व सौंपा गया। उक्त एजेंसियों से प्राप्त जाँचफल का निष्कर्ष निम्नवत हैः–

मुख्य अभियंता पूर्णियाँ की अध्यक्षता में गठित 04 सदस्यीय विभागीय जाँचदल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उद्धृत है कि एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा Initial Pile Load test किया जाना था, जिसका जाँचफल संतोषप्रद आने पर ही आगे पाइलिंग कार्य प्रारंभ किया जाना था। साथ ही Horizontal Pile Load test भी कराना अनिवार्य था। परन्तु दोनों महत्वपूर्ण Test संवेदक द्वारा नहीं कराया गया।

(ii) Deck Slab में प्रयुक्त Reinforcement की Spacing, Standard drawing में प्रावधानित Spacing से अधिक पायी गयी जिससे Concrete की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। Initial Pile load test के अलावा Pier-P1 के Pile-1 का Routine vertical pile load test भी संदिग्ध पाया गया।

(iii) पुल के Wearing Coat में Reinforcement नहीं दिया गया जबकि DPR में 8mm/150mm bothways Reinforcement का प्रावधान किया गया है।

(iv) पुल के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त Concrete का CAPO (Cut and Pullout) Test NABL Accredited, Avantech Engineering Consortium Pvt. Ltd. के द्वारा किया गया, जिसमें In situ Compressive strength जाँचफल मानक विशिष्टि से काफी कम पाया गया।

(v) गिरे हुए Deck Slab में प्रयुक्त Concrete की जाँच IIT Patna से भी करायी गयी जिसके जाँचफल के अनुसार Concrete का Compressive Strength मात्र 5.75 N/mm2 पाया गया, जो अनुमान्य सीमा से कम है।

(vi) Avantech Engineering Consortium Pvt. Ltd. के द्वारा जाँचदल की उपस्थिति में पुल के Foundation में प्रयुक्त Piles का Pile integrity test भी किया गया, जिसमें Abutment A1 के चार Pile में दो Pile (यथा Pile- 1 एवं Pile- 2) का जाँचफल संतोषप्रद नहीं पाया गया।

(vii) जाँचदल के द्वारा पुल के ध्वस्त Deck Slab (P-7 से P-8) से संग्रहित Concrete के कुछ नमूनों का Chemical Analysis test परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना के द्वारा कराया गया, जिसमें पाया गया कि पुल में प्रयुक्त Concrete में Cement, Sand एवं Chips का ratio मानक के अनुरूप नहीं है।

(viii) क्षतिग्रस्त पुल की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के द्वारा भी करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा संग्रहित Concrete Core नमूनों के जाँचोपरान्त Compressive Strength अनुमान्य सीमा से कम पाया गया।

(ix) IIT Patna के द्वारा दिनांक–24.09.2024 को पुनः पर्याप्त संख्या में नमूना संग्रह किया गया, जिसके जाँचोंपरान्त Concrete Core Test में औसत equivalent cube strength 18.1Mpa पाया गया जो कि Indian Standard के अनुसार M30 grade Concrete के लिए Acceptable limit (i.e. Average value of 28.1 Mpa and 22.5 Mpa for individual core) से काफी कम है, जो यह दर्शाता है कि Pier, Pier Cap, Cross girder और Deck slab में प्रयुक्त in-situ Concrete strength वांछित Design strength की अर्हता प्राप्त नहीं करता है। पुल में प्रयुक्त सरिया के 18 Sample में से 8 Sample का Yield strength मानक से कम पाया गया है।

(x) NRIDA Team के द्वारा क्षतिग्रस्त पुल के स्थल भ्रमण के उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में भी ये उल्लेखित है कि संवेदक द्वारा Pile के Performance की जाँच हेतु आवश्यक Load and Pile Integrity Test भी नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त Concrete के Quality Control एवं Steel Reinforcement की Vetting हेतु स्थल पर पर्याप्त मात्रा में Test नहीं किया गया है।

उक्त जाँचफलों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया तथा इनके द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य कराने के कारण ही निर्माणाधीन पुल का Span A_2-P_8 का Deck Slab ध्वस्त हुआ। ध्वस्त पुल के गिरने का विडियो राज्य/राष्ट्रीय चैनलों पर प्रमुखता के साथ प्रसारित हुआ, इससे न केवल राज्य सरकार और विभाग की छवि धूमिल हुई अपितु सरकारी राशि की भी क्षति हुई है। साथ ही विभाग के द्वारा लक्षित गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और आमजनों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त कार्य में संवेदक द्वारा की गयी अनियमिता एवं बरती गयी लापरवाही के लिए संबंधित संवेदक Sirajur Rahman (Regd. No-1150073/1230336) पताः– C/O Md. Abdur Rashid, Churipatti Road, P.O+P.S+Dist-Kishanganj के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2578 दिनांक–02.08.2024 द्वारा अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

उक्त निर्माणाधीन ध्वस्त पुल की जाँच हेतु मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की अध्यक्षता में गठित जाँचदल के पत्रांक–4333 दिनांक–30.07.2024 द्वारा समर्पित जाँचफल में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर संवेदक Sirajur Rahman से पुनः कारण पृच्छा की गयी।

संवेदक द्वारा उनके पत्रांक 02 दिनांक–27.08.2024 के माध्यम से IIT Patna, NRRDA Report तथा विभागीय जाँचदल द्वारा दिनांक–30.07.2024 को समर्पित संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–2950 अनु0 दिनांक–05.09.2024 के द्वारा संवेदक Sirajur Rahman को याचित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया। जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के उपरान्त संवेदक से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण विभागीय पत्रांक–3435 दिनांक–19.11.2024 द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया तथा स्पष्ट किया गया की निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। दिनांक–28.01.2025 को संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, जिसके आलोक में दिनांक–11.02.2025 को संवेदक से पुनः कारण पृच्छा किया गया। इनके द्वारा बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित करने के जगह मामले को आवश्यक रूप से लम्बा खींचने के उद्धेश्य से दिनांक–24.02.2025 एवं दिनांक–18.03.2025 को पुनः निगरानी विभाग का जाँच प्रतिवेदन को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। संवेदक को संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी आरोप के संदर्भ में बिन्दुवार स्पष्टीकरण देने के बजाय बार–बार जाँच प्रतिवेदन की मांग करना यह दर्शाता है कि संवेदक को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उनके पास कोई तथ्य नहीं था।

तदालोक में संवेदक SIRAJUR RAHMAN के निबंधन संख्या को विभागीय सकारण आदेश सं0–5890 दिनांक–06.06.2025 के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है। काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई के विरूद्ध संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक–07.07.2025 को सम्यक विचारोपरांत अपीलीय प्राधिकार के ज्ञापांक–8509 दिनांक–05.08.2025 के माध्यम से निरस्त किया गया है।

इस क्रम में पुल निर्माण कार्य से सम्बद्ध श्री अंजनी कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सुपौल एवं श्री आशुतोष कुमार रंजन, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया को क्रमशः विभागीय संकल्प–1866 दिनांक–18.06.204, 1874 दिनांक–19.06.2024 तथा श्री मनीष कुमार, कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया एवं श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 को क्रमशः कार्यालय आदेश संख्या–1868 दिनांक–18.06.2024, 1865 दिनांक–18.06.2024 के द्वारा निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त, श्रीमती अलका साक्षी, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया, श्री भागीरथ राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेलसंड एवं श्री फुलेश्वर रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना का कार्यालय के विरूद्ध क्रमशः विभागीय ज्ञापांक–524 दिनांक–14.01.2025, 520 दिनांक–14.01.2025, 519 दिनांक–14.01.2025 एवं 525 दिनांक–14.01.2025 के द्वारा जाँच आरंभ की गई। इन सभी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय पत्रांक–1844 दिनांक–03.07.2024 के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण पर किये गये व्यर्थ एवं अनुपयोगी व्यय की राशि का आकलन करने के पश्चात संवेदक SIRAJUR RAHMAN को कार्य प्रमंडल अररिया सहित विभाग के अन्य कार्य प्रमंडलों में किय गए कार्य का लंबित भुगतान किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

27/11/25

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)-PMGSY-101/2024 - 6001 /पटना, दिनांक—28-11-2025

प्रतिलिपिः— संवेदक Sirajur Rahman, At- C/O- Md. Abdur Rashid, Churipatti Road, P.O+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar, Pincode: 855108 को सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/25

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)-PMGSY-101/2024 - 6001 /पटना, दिनांक—28-11-2025

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/25

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)-PMGSY-101/2024 - 6001 /पटना, दिनांक—28-11-2025

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/11/25

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः— BRRDA(HQ)-PMGSY-101/2024 - 6001 /पटना, दिनांक—28-11-2025

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, ग्रमीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

27/11/25

अभियंता प्रमुख—सह—
अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव